भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

31.07.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1539 का उत्तर

गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों के लिए आपातकालीन ट्रेन आरक्षण

1539. श्री तेराश गोवाला:

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंभीर रूप से बीमार मरीजों, जिन्हें लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती है, के लिए प्राथमिकता के आधार पर कन्फर्म ट्रेन टिकट उपलब्ध कराने हेतु कोई ढांचा विद्यमान है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मरीजों या उनके परिवारों के लिए आपातस्थिति में आरक्षण सुनिश्चित करने का अनुरोध करने की विशेष आवेदन प्रक्रिया और माध्यम क्या हैं;

(ग) इन आपातकालीन यात्रा अनुरोधों को मान्य करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए कौन-से चिकित्सा प्रमाणपत्र या दस्तावेज़ी प्रमाण आवश्यक हैं; और

(घ) क्या यह आपातकालीन टिकट आवंटन सुविधा सभी तरह की ट्रेनों और सभी श्रेणियों में एक समान रूप से लागू होती है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ) कैंसर रोगियों की तत्काल यात्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारतीय रेल द्वारा रेलवे के कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटरों पर आरक्षित टिकट बुक करने वाले कैंसर रोगियों और उनके परिचरों के लिए प्रथम श्रेणी (एफसी), वातानुकूलित 2-टियर (2ए), वातानुकूलित 3- टियर (3ए) और वातानुकूलित चेयर कार (सीसी) श्रेणी में 2 बर्थ/सीटे और शयनयान श्रेणी में 4 बर्थ का आपातकालीन कोटा निर्धारित है। कुछ चिह्नित रेलगाड़ियों में कैंसर पीड़ितों के लिए अलग से कोटा भी निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा, आरक्षित श्रेणियों में कुछ सीमित एकोमोडेशन को आपातकालीन कोटा के रूप में निर्धारित किया गया है ताकि तत्काल यात्रा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु अनिवार्यतः यात्रा करने वाले रोगियों के मामले में, निकटतम आपातकालीन कोटा नियंत्रण प्राधिकारी से एकोमोडेशन की पुष्टि के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ संपर्क किया जा सकता है, जो यात्रा की वास्तविकता से संतुष्ट होने के बाद, प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार इन अनुरोधों पर यथासंभव विचार करते हैं।
